भारत के इतिहास में अब तक हुए प्रमुख किसान आन्दोलन एवं वर्तमान किसान आन्दोलनों के बदलते स्वरूप का अध्ययन

डॉ0 रोताश कुमार
सहायक आचार्य
इतिहास विभाग
गाँधी आदर्श महाविद्यालय समालखा, पानीपत (हरियाणा)

प्रस्तावनाः

भारत ने 1991 से एक नया आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया है, रोजगार में वृद्धि धीमी रही है और कृषि उत्पादन में वृद्धि असंतोषजनक रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ किसान आत्महत्याओं का केंद्र बन गया है। किसान बहुत ऋणी है और अवसाद से ग्रस्त है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। पूरे महाराष्ट्र में, पश्चिम विदर्भ के जिलों में यानि अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल में आत्महत्याओं की संख्या अधिक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय समाज में समय—समय पर होने वाली उथल—पुथल में किसानों की कोई सार्थक भूमिका नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने शीर्ष स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उनमें आदिवासियों, जनजातियों और किसानों का अहम योगदान रहा है। देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चम्पारण का सत्याग्रह और बारदोली में जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं ने किया। आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत सन् 1859 से हुई थी, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की नीतियों पर सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए, इसलिए आजादी के पहले भी इन नीतियों ने किसान आंदोलनों की नींव डाली। आज कृषि से संबंधित विवादित विधेयक इन दिनों खूब सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। कई राज्यों के किसान आंदोलन के मूड में हैं और पिछले कई दिनों से उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सहयोगी अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर ने तो इसके विरोध में मंत्रिपद भी छोड़ दिया। लेकिन सरकार इससे टस से मस नहीं हुई और विधेयक दोनों सदनों में हंगामे के बीच पास हो गया। भारत में किसान आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। इसलिए, देश के इतिहास में किसानों के आंदोलनों के कारणों का पता लगाने के लिए, किसानों की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का पता लगाने और भारत में किसान आंदोलनों की बदलती प्रकृति को समझने के लिए, शोध विषय को चुना गया है।

अनुसंधान निबंधों के लिए प्रयुक्त अनुसंधान विधियाँः

वर्तमान शोध प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों और वेबसाइटों से संकलित किया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्यः

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. देश के किसानों आंदोलनों के कारणों का पता लगाना।
2. किसानों की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का अध्ययन करना।
3. भारत में किसान आंदोलनों की बदलती प्रकृति को समझना।
4. किसानों की समस्या के समाधान हेतु उपाय सुझाना।

अनुसंधान की आवश्यकता और महत्वः

महाराष्ट्र में विदर्भ किसान आत्महत्याओं का केंद्र बन गया है। किसान बहुत ऋणी है और अवसाद से ग्रस्त है। वही 26 नवम्बर से किसानों ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया है। तीन नए कृषि कानूनों का असर देश की कृषि व्यवस्था पर पड़ने लगा है। धान की खरीद पर इसका असर साफ दिख रहा है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और इस प्रकार किसानों का जो शोषण हो रहा है इसके लिये कोई समाधान निकालने के बजाय सरकार खुद ही इस शोषण का एक उपकरण बन गयी है, ऐसा देश के किसानों का मानना है। न सिर्फ किसान अपने उत्पाद के उचित मूल्य से वंचित हैं, बल्कि उनके उत्पाद की जमाखोरी से बिचौलिए भरपूर लाभ कमा रहे हैं और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। सरकार ने इन्हीं कृषि कानूनों के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) को खत्म कर दिया है जो जमाखोरी के खिलाफ सरकार को एक मजबूत कानूनी प्राविधान देता था। लेकिन अब कोई ऐसा प्रभावी कानून नहीं रहा। इसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। सबसे पहले, आंदोलन करने वाले किसानों को समाज और सरकार से भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। इसके अलावा, उन्हें सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। इस संबंध में, देश में किसानों के आंदोलनों के कारणों और सरकार द्वारा किए गए उपायों का अध्ययन करना आवश्यक है। इस वजह से, आज व्यापक शोध की आवश्यकता है और इसी लिए यह शोध महत्वपूर्ण है।

भारत के इतिहास में अब तक हुए प्रमुख किसान आंदोलनः

कृषि उत्पादन की लागत दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों जैसे विभिन्न कृषि आदानों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस कारण, बुवाई की लागत फिर से बढ़ जाती है। इन सभी कारकों के कारण, प्रति एकड़ कृषि की लागत में काफी वृद्धि हो रही है। कृषि से होने वाली आय उस सीमा तक नहीं बढ़ती है। किसानों को कृषि उत्पादन के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा दी गई गारंटी भी नहीं मिल रही है। कृषि उत्पादन पर व्यय अधिक है और कृषि आय कम है, परिणामस्वरूप, देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को फसल के उत्पादन की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए उसे हर साल कर्ज लेना पड़ता है। प्राकृतिक कटाई के कारण अपेक्षित फसल भी नहीं आ रही है। नई फसलों के लिए फिर से ऋण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, किसान को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ता है। वह त्योहारों, शादियों, बीमारियों और धार्मिक समारोहों के लिए भी पैसा खर्च कर देता है। साथ ही बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा और भोजन के लिए ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी अनेक समस्याए देश के किसानो के सामने है। क्या ये समस्याए आजादी के पहले से है? क्या किसी और कारणो से किसान आज आंदोलन कर रहा है? अगर ये समस्याए नहीं है तो फिर देश का किसान आज आंदोलन क्यूँ कर रहा है? उनका यह कार्य हमे इतिहास मे झाकने को मजबूर करता है। भारत के इतिहास में अब तक हुए प्रमुख किसान आंदोलन की जानकारी नीचे दियी हुई है।

सन् 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देशी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। वास्तव में जितने भी 'किसान आंदोलन' हुए, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय के समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाले सरकारी अधिकारियों की ज्यादतियों का सबसे बड़ा संघर्ष, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया। आंदोलनकारी किसान चाहे तेलंगाना के हों या नक्सलवाड़ी के हिंसक लड़ाके, सभी ने छापामार आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने देशी रियासतों की मदद से दबा तो दिया, लेकिन देश में कई स्थानों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में धधकती रही। इसी बीच अनेकों स्थानों पर एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए। नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा

आंदोलन, चम्पारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं।

सन् 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधीजी द्वारा शुरू किया गया, वहीं बाद में 'मेड़ता बंधुओं' (कल्याणजी तथा कुंवरजी) ने भी सन् 1922 में बारदोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। बाद में इस सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल के हाथों में रहा। हालांकि किसानों का सबसे प्रभावी और व्यापक आंदोलन नील पैदा करने वाले किसानों का था। यह आंदोलन भारतीयों किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में सन् 1859–1860 में किया गया। अपनी आर्थिक मांगों के संदर्भ में किसानों द्वारा किया जाने वाला यह आंदोलन उस समय का एक विशाल आंदोलन था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे तथा नील उत्पादक किसानों को एक मामूली–सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। इस प्रथा को 'ददनी प्रथा' कहा जाता था। इसी तरह का पहला विद्रोह (पाबना आंदोलन) जिले के किसानों से शुरू हुआ था। बंगाल के पाबना जिले के काश्तकारों को सन् 1859 में एक एक्ट द्वारा बेदखली एवं लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जमींदारों ने उनसे सीमा से अधिक लगान वसूला एवं उनको उनकी जमीन के अधिकार से वंचित किया। जमींदारों की ज्यादती का मुकाबला करने के लिए सन् 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक 'कृषक संघ' का गठन किया। इस संगठन का मुख्य कार्य पैसे एकत्र करना एवं सभाएं आयोजित करना होता था, ताकि किसान आधिकाधिक रूप से अपने अधिकारों के लिए सजग हो सकें।

दक्कन का विद्रोह : गौरतलब बात यह है कि यह एक–दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा वरन देश के विभिन्न भागों में फलाफूला। यह आग दक्षिण में भी लगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। दिसंबर सन् 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने किसान (बाबा साहिब देशमुख) के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इन साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत सन् 1874 में शिरूर तालुका के करडाह गांव से हुई।

उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन : होमरूल लीग के कार्यकताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणामस्वरूप फरवरी, सन् 1918 में उत्तर प्रदेश में 'किसान

सभा' का गठन किया गया। सन् 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने 'एका आंदोलन' नामक आंदोलन चलाया।

मोपला विद्रोह : केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा सन् 1920 में विद्रोह किया गया। प्रारम्भ में यह विद्रोह अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। इस आन्दोलन के मुख्य नेता के रूप में 'अली मुसलियार' चर्चित थे। सन् 1920 में इस आन्दोलन ने हिन्दू–मुस्लिमों के मध्य साम्प्रदायिक आन्दोलन का रूप ले लिया और शीघ्र ही इस आन्दोलन को कुचल दिया गया।

कूका विद्रोह : कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज़ सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के संस्थापक भगत जवाहरमल थे। सन् 1872 में इनके शिष्य बाबा रामसिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालान्तर में उन्हें कैद कर रंगून (अब यांगून) भेज दिया गया, जहां पर सन् 1885 में उनकी मृत्यु हो गई।

रामोसी किसानों का विद्रोह : महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी तरह आंध्रप्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, जो सन् 1879 से लेकर सन् 1920–22 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा।

ताना भगत आंदोलन : इस आन्दोलन की शुरुआत सन् 1914 में बिहार में हुई। यह आन्दोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। इस आन्दोलन के प्रवर्तक 'जतरा भगत' थे, जो कि इस आन्दोलन से सम्बद्ध थे। 'मुण्डा आन्दोलन' की समाप्ति के करीब 13 वर्ष बाद 'ताना भगत आन्दोलन' शुरू हुआ। यह ऐसा धार्मिक आन्दोलन था, जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए 'पंथ' के निर्माण का आन्दोलन था। इस मायने में यह बिरसा मुण्डा आन्दोलन का ही विस्तार था। मुक्ति–संघर्ष के क्रम में बिरसा मुण्डा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे।

तेलंगाना आंदोलन : आंध्रप्रदेश में यह आन्दोलन जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ सन् 1946 में शुरू किया गया था। सन् 1858 के बाद हुए किसान आन्दोलनों का चरित्र पूर्व के आन्दोलन से अलग था। अब किसान बगैर किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी

लड़ाई लड़ने लगे। इनकी अधिकांश मांगें आर्थिक होती थीं। किसान आन्दोलन ने राजनीतिक शक्ति के अभाव में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध नहीं किया। किसानों की लड़ाई के पीछे उद्देश्य व्यवस्था–परिवर्तन नहीं था, लेकिन इन आन्दोलनों की असफलता के पीछे किसी ठोस विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का अभाव था।

बिजोलिया किसान आंदोलन : यह 'किसान आन्दोलन' भारतभर में प्रसिद्ध रहा जो मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था। बिजोलिया किसान आन्दोलन सन् 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्द्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश नौकरशाही एवं स्वेच्छाचारी सामंतों का संगठित होकर मुकाबला किया, वह इतिहास बन गया।

खेड़ा सत्याग्रह : चम्पारण के बाद गांधीजी ने सन् 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आन्दोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधीजी ने अपने प्रथम वास्तविक 'किसान सत्याग्रह' की शुरुआत की। खेड़ा के कुनबी–पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधीजी ने 22 मार्च, 1918 को खेड़ा आन्दोलन की बागडोर संभाली। अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभभाई पटेल और इन्दुलाल याज्ञनिक थे।

अखिल भारतीय किसान सभा : सन् 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 'बिहार किसान सभा' का गठन किया। सन् 1928 में 'आंध्र प्रान्तीय रैय्यत सभा' की स्थापना एनजी रंगा ने की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने 'उत्कल प्रान्तीय किसान सभा' की स्थापना की। बंगाल में 'टैनेंसी एक्ट' को लेकर सन् 1929 में 'कृषक प्रजा पार्टी' की स्थापना हुई। अप्रैल, 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रान्तीय किसान सभाओं को मिलाकर एक 'अखिल भारतीय किसान संगठन' बनाने की योजना बनाई।

बारदोली सत्याग्रह : सूरत (गुजरात) के बारदोली तालुका में सन् 1928 में किसानों द्वारा 'लगान' न अदायगी का आन्दोलन चलाया गया। इस आन्दोलन में केवल 'कुनबी–पाटीदार' जातियों के भू–स्वामी किसानों ने ही नहीं, बल्कि सभी जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया।

चम्पारण सत्याग्रह : चम्पारण का मामला बहुत पुराना था। चम्पारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 3/20 वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 'तिनकठिया पद्धति' कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील के बाजार समाप्त हो गए। नील बागान के मालिकों ने अपने कारखाने बंद कर दिए और किसानों की नील की खेती से छुटकारा पाने की इच्छा भी पूरी हो गई।

तेभागा आन्दोलन : किसान आन्दोलनों में सन् 1946 का बंगाल का तेभागा आन्दोलन सर्वाधिक सशक्त आन्दोलन था, जिसमें किसानों ने 'फ्लाइड कमीशन' की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर एक तिहाई करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल का 'तेभागा आंदोलन' फसल का दो–तिहाई हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। यह बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुन्दरबन क्षेत्रों में। 'किसान सभा' के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था अंग्रेज़ो द्वारा भारतीय कृषि में व्यापक परिवर्तन किए जाने से देश के कृषि जगत में हलचल पैदा हो गई तथा भारतीय कृषक निर्धनता की बेड़ियों से जकड़ गए। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता के निम्न प्रमुख कारण थे–

- उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियां।
- भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव।
- नयी भू– राजस्व व्यवस्था तथा उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था।

भारतीय कृषक लगान की ऊंची दरों, अवैध करों, भेदभाव पूर्ण बेदखली एवं ज़मींदारी क्षेत्रों में बेगार जैसी बुराइयों से त्रस्त थे। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार किसानों से लगभग 50 प्रतिशत कर लेती थी। इन कठिनाइयों के बोझ से दबे किसान अपनी जीविका के एकमात्र साधन को बचाने के लिए महाजनों से ऋण लेने हेतु विवश हो जाते थे। ये महाजन उन्हें अत्यंत ऊंची दरों पर ऋण देकर उन्हें ऋण के जाल में फांस लेते। अनेक अवसरों पर किसानों को अपनी भूमि एवं पशु भी गिरवी रखने पड़ते थे। कभी–कभी ये सूदखोर या महाजन किसानों की गिरवी रखी गयी संपत्ति को भी जब्त कर लेते थे। इन सभी कारणों से कृषक धीरे धीरे निर्धन, लगानदाता व मज़दूर बन कर रह गए। बहुत से कृषकों ने कृषि कार्य छोड़ दिया, कृषि भूमि रिक्त पड़ने लगी तथा कृषि उत्पादन कम होने लगा। कृषकों पर किए जा रहे शोषण ने उन्हें उपनिवेशवादी ताकत के विरुद्ध विरोध करने के लिए मज़बूर कर दिया।

वर्तमान किसान आंदोलनो का बदलता स्वरूपः

आज भी देश में किसानों को अपने कृषि उत्पादन के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर फसलों को पानी नहीं मिलता है। विदर्भ में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। 1991 से देश मे आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया है। विकसित देशों में कृषि के लिए बड़ी सब्सिडी दी जाती है। नतीजतन, कम उत्पादन लागत का परिणाम कम कीमतों में होता है। वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य को प्रभावित करते हैं। उनके माल की कीमतें कम रहती हैं।

विकासशील देशों में, दूसरी ओर, किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसलिए, उसकी कृषि उपज की कीमत अधिक है। बाजार मे विकासशील देश के सामान की कीमत नहीं मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी राजनीति फल–फूल रही है। यह गाँव में गुटबाजी पैदा करता है और सहयोग की भावना को नष्ट करता है। इसका उदाहरण 6 जून 2017 का मध्यप्रदेश में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन है। आंदोलनकारीयो ने दूध और सब्जियों की सप्लाय भी रोक दी थी। जाट आंदोलन की तर्ज पर यह किसान आंदोलन मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। जब अन्नदाता उग्र होकर सड़कों पर निकल आये थे। मंदसौर में आंदोलन कर रहे किसानों पर हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी। आखिर अन्नदाता क्यों इतना उग्र हो रहा है? क्यों कर रहे किसान हिंसक आंदोलन। इसका जवाब सरकार की किसान नीतियो को देना चाहिए। देश मे भारतीय किसान सेना, भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मज़दूर संघ के बैनर तले यह आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन में कई किसान यूनियनें भी शामिल है। महाराष्ट्र में भी कर्जमाफी को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था। वर्तमान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया हैं। विपक्षी पार्टियों और कई किसान संगठनों का आरोप है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असर पड़ेगा, वहीं सरकार इन आरोपों को ख़ारिज करती है। सरकार का कहना है कि कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अनाज मंडियों की व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसानों को सरकार विकल्प दे रही है। इस बीच सरकार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन जल्द अपनी आंतरिक चर्चा पूरी करेंगे और संकट के समाधान के लिए सरकार के साथ पुनः वार्ता शुरू करेंगे। लेकिन ये बात हजम नहीं होती क्योंकि इन तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई थी। ये प्रदर्शनकारी मुख्यतः ग्रेटर नोएडा के जेवर और दादरी के रहने वाले हैं और उन्हें पुलिस ने कथित तौर पर महामाया फ्लाईओवर पर रोक दिया। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा–नोएडा मार्ग पर सामान्य यातायात करीब तीन घंटे बाद ही बहाल हो पायी। हालांकि नोएडा से दिल्ली जाने के लिए अब भी चिल्ला बॉर्डर (एक तरफ से) बंद है, जहां भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के सदस्य नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए जमा हो रहे हैं। भाकियू (लोक शक्ति) के सदस्य दलित प्रेरणा स्थल पर जमे हैं। वे यहां नए कानून का विरोध कर रहे हैं। बस सरकार को ध्यान देना होगा की कोई भी आंदोलन हिंसक ना हो।

निष्कर्षः

अध्ययन में पाया गया कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के विकास के बिना, मानव जीवन कभी भी खुश और समृद्ध नहीं होगा। स्वतंत्रता से पहले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जो आंदोलन किए वे गांधीजी के प्रभाव के कारण हिंसा और बरबादी से भरे नहीं होते थे, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद जो किसानों के नाम पर आंदोलन या उनके जो आंदोलन हुए है वे हिंसक और राजनीति से ज्यादा प्रेरित है। सरकार द्वारा भारत के किसानों की वर्तमान समस्या को देखते हुये नए कृषि कानूनो मे संशोधन कर उसे लागू करना चाहिए।

सुझावः

1. सरकार द्वारा किसानों तक सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए।
2. सिंचाई बैकलॉग को भरने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
3. किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
4. यदि बाजार में कृषि उपज की कोई मांग नहीं है, तो सरकार को गारंटी मूल्य वृद्धि उत्पाद खरीदना चाहिए।
5. कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:

1. भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, दृष्टि प्रकाशन; 2021 संस्करण (1 जनवरी 2019)

2. डॉ. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, आधुनिक भारत मे किसान आन्दोलन, प्रगति प्रकाशन) 1 जनवरी, 2019)

3. भारतीय सामाजिक क्रान्ति के जनक, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. मु.ब. शहा, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009,

4. जोतिबा फुले, आधुनिक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, डॉ. नामदेव, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2014 I

5. गंगाधर पंतावणे, पत्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शुगत प्रकाशन, 2015

6. मून, वसंत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : राइटिंग एंड स्पीचेस, एजूकेशन वाल्यूम 10 मुंबई : महाराष्ट्र सरकार

7. कुमार, बी. अरुण, गाँधीयन प्रोटेस्ट, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2008

8. दाधीच, नरेश (सम्पादित), टुवर्ड्स् ए मोर पीसफुल वर्ल्ड : इन्टरनेशनल एण्ड इन्डियन परस्पेक्टिव, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

9. मिश्रा, ए.डी. एवं नारायानासामी एस., वर्ल्ड क्राईसिस एण्ड द गाँधीयन वे. कॉनसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2009

10. भारतीय अर्थव्यवस्था, रुद्रदत्त एवं के. पी. एम. सुंदरम, एस. चाँद एंड कंपनी, नई दिल्ली (हिन्दी)

11. भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह, म्यकग्रेव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, 9वां संस्करण

12. समाचार पत्रः लोकमत, नवभारत, हितवाद